He Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31032022-234694 CG-DL-W-31032022-234694

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 12]

नई दिल्ली, मार्च 20- मार्च 26, 2022, शनिवार/फाल्गुन 29, 1943- चैत्र 5, 1944

No. 12]

NEW DELHI, MARCH 20-MARCH 26, 2022, SATURDAY/PHALGUNA 29, 1943-CHAITRA 5, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

का.आ. 278.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री लक्ष्मण एस. उप्पर (जन्म तिथि: 1.6.1971) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा. सं. 6/6/2021-बीओ-I] संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 21st March, 2022

S.O. 278.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Laxman S. Uppar (DoB: 1.6.1971) as part-time non-official director on the Board of Directors of Union Bank of India, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

का.आ. 279.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री रिश्म क्षेत्रपाल (जन्म तिथिः 28.3.1973) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा. सं. 6/6/2021-बीओ-I] संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st March, 2022

S.O. 279.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby nominates Ms. Rshmi Khetrapal (DoB: 28.3.1973) as part-time non-official director on the Board of Directors of Punjab & Sind Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

का.आ. 280.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री मुनीष कुमार रलहान (जन्म तिथिः 28.6.1973) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा. सं. 6/6/2021-बीओ-I] संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st March, 2022

S.O. 280.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Munish Kumar Ralhan (DoB: 28.6.1973) as part-time non-official director on the Board of Directors of Bank of India, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

का.आ. 281.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पिठत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री दिवाकर प्रसाद हरिचंदन (जन्म तिथि: 8.7.1970) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा. सं. 6/6/2021-बीओ-I] संजय कमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st March, 2022

S.O. 281.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Dibakar Prasad Harichandan (DoB: 8.7.1970) as part-time non-official director on the Board of Directors of Canara Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.